order

(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

पीठासीन अधिकारी – इन्द्राज सिंह आर.ए.एस. नवलगढ

महेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुनू।	–बनाम–	दौलत सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत निवासी देवीपुरा तन बिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा		मु.नं. ~~1845/2020~~ 84/2020 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
21.8.2020	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी **महेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी देवीपुरा** तहसील नवलगढ की ओर से वकील **श्री अमर सिंह शेखावत** ने विरूद्ध अनावेदकगण बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा किया जावे कि वे ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का बिराणा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1162 रकबा 1.95 हैक्टर के भाग विशेष को बिना प्रार्थी की स्वीकृति व सहमति के अजनबी को विक्रित नही करे, ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही सरकारी कर्मचारी, रिश्तेदार ऐजेन्ट आदि से करवाये तथा अनावेदक संख्या 6 वादग्रस्त भूमि का किसी भी प्रकार का दस्तावेज तस्दीक नही करे। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो एव संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम देवीपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1162 रकबा 1.95 हैक्टर भूमि मे वादी के हिस्से तक रहन, बय नही करे एव क्षेत्र विशेष खाते पर रहन बय न किया जावे। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी हो। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। उक्त आदेश किसी भी न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना में बाधक नहीं होगा। पत्रावली बारस्ते तलबी दिनांक 17.09.2020 को पेश हो। (इन्द्राज सिंह) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ	1846 24/8/20
25/8/20	पत्रावली प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश होने पर तलब की गई। आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य रजीनामा हो गया है। आगे वह प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। प्रकरण खारिज फरमावे। प्रार्थना स्वीकार कर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नामावर दिस क्रम हो तथा बाद तकमील अपना कार्यालय दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(नियम 13)

Scanned by CamScanner